

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 131/2021

महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, रूघावाली जोहडी के पास, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील
नवलगढ, जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 24.08.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 131/2021 पर दिनांक 28.07.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2111-12 दिनांक 28.07.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2021/254 दिनांक 06.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन में जो सूचना चाही है, उक्त सूचना प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई, श्रीमान्जी सूचना बहुत पुरानी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 20 वर्ष से अधिक पुरानी सूचना के पृथक्करण से भी छूट, इसके बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय में टीम का गठन कर चाही गई सूचना की तलाश की गई जिसमें प्रार्थी को मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की वर्ष 1959, 1971, 1975, 1980 एवं 1993 की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। शेष 1951 से 1965 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। उक्त संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2021/240 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा पंजीबद्ध डाक से सूचित करते हुए श्रीमान्जी को भी पत्रांक पाठक/2021/1882-83 दिनांक 08.07.2021 अपील सं0 89/2021 के संबंध में सादर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहे जाने पर समयवधि में ही आवेदक को सूचना के संदर्भ में सूचित कर दिया गया। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2021/254 दिनांक 06.08.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन में जो सूचना चाही है, उक्त सूचना प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी उनके कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई, श्रीमान्जी सूचना बहुत पुरानी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 20 वर्ष से अधिक पुरानी सूचना के पृथक्करण से भी छूट, इसके बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उनके कार्यालय में टीम का गठन कर चाही गई सूचना की तलाश की गई जिसमें प्रार्थी को मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की वर्ष 1959, 1971, 1975, 1980 एवं 1993 की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। शेष 1951 से 1965 तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। उक्त संबंध में

M

प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक सू०अ०/२०२१/२४० दिनांक २२.०७.२०२१ के द्वारा पंजीबद्ध डाक से सूचित करते हुए श्रीमानजी को भी पत्रांक पाठक/२०२१/१८८२-८३ दिनांक ०८.०७.२०२१ अपील सं० ८९/२०२१ के संबंध में सादर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत सूचना चाहे जाने पर समयावधि में ही आवेदक को सूचना के संदर्भ में सूचित कर दिया गया।

7. चूंकि चाही गई सूचना २० वर्ष से अधिक पुरानी है एवं २० वर्ष से अधिक पुरानी सूचना दिये जाने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत सूचना दिये जाने के संबंध में छूट प्राप्त है। फिर भी लो०सू०अ० (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम गठित कर पर्याप्त प्रयास किये गये हैं। कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। वर्ष १९५१ से १९६५ तक की मतदाता सूची ग्राम कोलसिया की उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
8. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक २४.०८.२०२१ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू०डी० खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं